पत्र सख्या- 1/प्रा0आ0-0-3-11/17.................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार भा0प्र0से0,
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नालंदा/सिवान/सुपौल।

पटना-15, दिनांक- 20/3/18

विषय:- वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड–39–2245021010002 के अन्तर्गत कुल ₹ 47.34 लाख (सैतालीस लाख चौतीस हजार रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति मद के अन्तर्गत वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक – ब–17/ बी0सी0एफ0–आपदा–161/2017/35 सी0एफ0 दिनांक –07.09.17 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या –288/आ0प्र0 दिनांक –07.09.17 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

3 आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष/ उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष -101 आनुग्रहिक राहत। मॉग संख्या-39

उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति।

विस्तृत शीर्ष-21-सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष-03- आहार/पथ्य

(राशि रूपये लाख में)

क्र०	जिला	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017–18)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2017–18)
1.	2.	3	4	5
1	नालंदा	0.00 (शून्य)	1.24 (एक लाख चौबीस हजार)	1.24 (एक लाख चौबीस हजार)
2	सिवान	4.00 (चार लाख)	0.10 (दस हजार)	4.10 (चार लाख दस हजार)
3	सुपौल	200.00 (दो करोड़)	46.00 (छियालीस लाख)	246.00 (दो करोड़ छियालीस लाख)
कुल योग		204.00 (दो करोड़ चार लाख)	47.34 (सैतालीस लाख चौतीस हजार)	251.34 (दो करोड़ इक्यावन लाख चौतीस हजार)

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 232 दिनांक 17.03.18/सिवान के पत्रांक 138 दिनांक 01.03.18/सुपौल के पत्रांक 1605-2 दिनांक 07.12.17 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में राज्य सरकार के कल्याणकारी कदम के तहत आसन्न बाढ़ से प्रभावित परिवारों के बीच प्रति परिवार एक फूड पैकेट (चावल –5 कि0ग्रा0, दाल–1कि0ग्रा0, आलू–2 कि0ग्रा0 अथवा सोयाबीन बड़ी –1/2 कि0ग्रा0, नमक –1/2 कि0ग्रा0 एवं हल्दी का छोटा पैकेट) वितरण हेतु निर्गत किया जा रहा है। यह राशि पूर्णतः राज्य निधि की है। संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इस मद से बाढ़ प्रभावितों के बीच फूड पैकेट वितरण में होने वाले व्यय का ही भुगतान किया जाय।

5. किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 25.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

7. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाय, तो 25.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड

का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक–17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **व्यय होनेवाली राशि के लिये तैयार किये गए विपत्र/ विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से '' 8000-आकस्मिकता निधि '' अंकित कराया जाय ।**

10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 25.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर ''आवंटन प्राप्त हुआ'', यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

12. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

13. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव

ज्ञापांक–170/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 20/3/18

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट), बिहार/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक–170/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 20/3/18

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक–170/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 20/3/18

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक –170/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–20/3/18

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक–170/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना)-सह-प्रभारी सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव